संख्या-172/22-02-2014-17(160)/2005

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 11 सितम्बर,2015

विषय :- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री गंगाराम, निवासी जिला-फिरोजाबाद की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4735/पर-2-(एम0-05-02-2014) दिनांक 13-02-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री गंगाराम, निवासी मो0 कोटला, थाना-दक्षिण, जिला फिरोजाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 22-02-1975 को अपरान्ह लगभग 04-30 बजे लाठी, डण्डा, लोहे की छड़ से मारकर धर्ममाल नामक व्यक्ति की हत्या की। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-130/1975 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,147 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा दिनांक 12-12-1978 को दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-10-1997 द्वारा बन्दी को 302/149, 147 भा0द0वि0 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है तथा 01 सहअभियुक्त दयायाचिका के आधार पर वर्ष 2013 में मुक्त, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 10-01-2014 तक 12 वर्ष, 02 माह, 11 दिन की अपरिहार एवं 15 वर्ष 10 माह 27 दिन की सपरिहार सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी के किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राकेश (बन्दी संख्या-8020) पुत्र श्री गंगाराम, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-569(1)/22-2-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in